[2019] 1 एस. सी. आर. 886

ट्रस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

वी.

महाराष्ट्र राज्य और ओ. आर. एस.

(2019 की सिविल अपील संख्या 879)

21 जनवरी, 2019

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़

और हेमंत गुप्ता, जे. जे.]

एम. ई. आर. सी. (बहु-वर्षीय शुल्क) विनियम, 2011-विनियमन। 44.2 ((घ)

विनियमों की वैधता तय करने का अधिकार क्षेत्र-अपीलार्थी की शिकायत इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि 44.2 (घ) राज्य में अन्य उत्पादन स्टेशनों की तुलना में अपने तापीय उत्पादन स्टेशन डहाणू टी. पी. एस. के लिए एक सख्त मानक निर्धारित किया-अपीलार्थी द्वारा महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (एम. ई. आर. सी.) के समक्ष दायर याचिका अपीलार्थी ने मानदंडों में ढील देने और इसे मानक स्टेशन ताप दर (एस. एच. आर.) के अनुरूप लाने का अनुरोध किया।

-

एम. ई. आर. सी. ने अभिनिर्धारित किया कि उसने एम. वाई. टी. विनियमों के आधार पर एस. एच. आर. के लिए मानदंडों पर विचार किया था और उसे एस. एच. आर. के लिए एम. वाई. टी. मानदंडों में बदलाव करने में कोई योग्यता नहीं मिली। विद्युत के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण (ए. पी. टी. ई. एल.) के समक्ष विद्युत अधिनियम 2003 का <आई. डी. 2-इसके अलावा, अपीलार्थी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष संविधान के यू/Art.226 के तहत एक रिट याचिका दायर की।

राज्य में अन्य उत्पादन स्टेशनों की तुलना में डहाणू टी. पी. एस. के लिए एक अलग एस. एच. आर. निर्दिष्ट करने वाले 44.2 (डी) को चुनौती देना।

उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया और खर्च लगाया

रु. 1 अपीलार्थी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और यह अभिनिर्धारित किया गया कि बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाने के बाद, अपीलार्थी ने "उसी मुद्दे पर" उच्च न्यायालय का रुख करना उचित नहीं था, जब न्यायाधिकरण पर्याप्त राहत प्रदान करने की स्थिति में था-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः कानून में स्थिति के निर्णय द्वारा स्थापित किया जाता है

पी. टी. सी. इंडिया लिमिटेड मामले में संविधान पीठ ने कहा कि जबकि न्यायाधिकरण एक विवाद पर निर्णय ले सकता है जिसमें एक

विनियमन, जिसके लिए अधिनियम की धारा 111 के तहत एक अपील बनाए रखने योग्य होगी, किसी विनियमन की वैधता पर न्यायाधिकरण के समक्ष कोई अपील नहीं की जा सकती है-इस प्रकार, उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में सही नहीं था कि रिट याचिका यू/Art.226 बनाए रखने योग्य नहीं थी-वास्तव में, एम. ई. आर. सी. द्वारा बनाए गए विनियमों की वैधता को चुनौती केवल उच्च न्यायालय के समक्ष हो सकती है-इस प्रकार, लागू करने के लिए लागत का अधिरोपण

यू/Art.226 द्वारा अपनाया गया उपाय अनुचित था-हालाँकि, विवादित विनियमन में कोई कमजोरी नहीं है और तदनुसार अंतिम है।

विद्युत अधिनियम, 2003-एस. एस. के तहत रिट याचिका को खारिज करने के लिए उच्च न्यायालय का निष्कर्ष। 61 , 82 , 111 और 181-एम. ई. आर. सी. (शुल्क के नियम और शर्तें) विनियम, 2005-राष्ट्रीय शुल्क नीति, 2006-भारत का संविधान-कला। 226 - क्षेत्राधिकार।

एम. ई. आर. सी. (बहु-वर्षीय शुल्क) विनियम, 2011-विनियमन। 44.2 (घ) अपीलार्थी द्वारा भेदभाव की याचिका-शिकायत की वैधता

अपीलार्थी का मान इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि राज्य में अन्य उत्पादन स्टेशनों की तुलना में उसके तापीय उत्पादन स्टेशन डहाणू टी. पी. एस. के लिए एक सख्त मानक या मानक निर्धारित किया गया है -

अपीलार्थी के अनुसार, स्टेशन ताप दर (एस. एच. आर.) निर्धारित करने वाले वैधानिक नियमों में भेदभाव झूठ बोला गया-आयोजितः विनियम बनाने की शक्ति विधायी प्रकृति की है-केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) की रिपोर्ट इससे पहले एक इनपुट थी

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (एम. ई. आर. सी.) ने उस अभ्यास को पूरा करने में-एम. ई. आर. सी. ने शुल्कों के निर्धारण के लिए निर्धारित वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया-इसने उन कारकों को ध्यान में रखा जिन पर विचार करना क़ानून द्वारा अनिवार्य है-राष्ट्रीय शुल्क नीति, हितधारकों के सुझावों के साथ-साथ सी. पी. आर. आई. द्वारा किए गए मूल्यांकन पर विधिवत विचार किया गया-इस प्रकार, वर्तमान मामला स्पष्ट अनुचितता के प्रतिमान में नहीं आता है या सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप को सुनिश्चित करने के लिए मनमानेपन-एम. ई. आर. सी. (बहु-वर्षीय शुल्क) विनियम, 2011 का विनियम 44.2 (डी) किसी भी संवैधानिक या वैधानिक दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है।

राष्ट्रीय प्रशुल्क नीति, 2006।

04.02.2011 पर, एम. ई. आर. सी. (बहु-वर्षीय शुल्क) विनियम,

2011 उन्हें सूचित किया गया। विनियमन 44 तापीय उत्पादन स्टेशनों के संचालन के लिए मानदंड प्रदान करता है। विनियमन 44.2 मौजूदा उत्पादन स्टेशनों के लिए सकल स्टेशन ताप दरों को निर्धारित करता है। उपरोक्त विनियमन ने संकेत दिया कि बचत करें और इसके अलावा खंड (बी), (सी) और (डी) में निर्धारित बहिष्कृत श्रेणियां, मौजूदा कोयला आधारित तापीय उत्पादन के लिए स्टेशन ताप दर (एसएचआर)

स्टेशनों को 2450 kCal/kWh (200/210/250 मेगावाट सेटों के लिए) और 2425 kCal/kWh (500 मेगावाट सेटों और उससे अधिक के लिए) के एक समान स्तर पर निर्धारित किया गया है। विनियमन 44.2 (ए) में 2450 के. सी. एल./के. डब्ल्यू. एच. के समान मानदंड के विपरीत, डहाणू टी. पी. एस. के लिए एस. एच. आर. वित्तीय वर्ष 2011-12 में 2350 से वित्तीय वर्ष [2019] 1 एस. सी. आर. में 2370 के बीच भिन्न था।

2015-16 . आर-इन्फ्रा के डहाणू टी. पी. एस. के मामले में अधिक सख्त एस. एच. आर. का यह निर्देश ही वर्तमान मामले में विवाद का केंद्र बिंदु है।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका की स्थिरता पर, उच्च न्यायालय ने इस बात की अनदेखी की है कि पी. टी. सी. इंडिया लिमिटेड बनाम केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग में इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय द्वारा स्थापित कानून में स्थिति। संविधान पीठ ने विचार किया कि क्या विद्युत के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण के पास केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी. ई. आर. सी.) द्वारा बनाए गए विनियमों की वैधता पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है। सीईआरसी ने किया है

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 178 के तहत विनियम बनाने की शक्ति सौंपी गई है। संविधान पीठ ने कहा कि धारा 178 के तहत बनाए गए विनियमन की वैधता का परीक्षण केवल न्यायिक समीक्षा का प्रयोग करने वाले न्यायालय के समक्ष किया जा सकता है। जबकि

न्यायाधिकरण किसी विनियमन की व्याख्या से जुड़े विवाद पर निर्णय ले सकता है, जिसके लिए अधिनियम की धारा 111 के तहत अपील विचारणीय होगी, किसी विनियमन की वैधता पर न्यायाधिकरण के समक्ष कोई अपील नहीं की जा सकती है। [पैरा 18] [905-ई-एच]

2. संविधान पीठ द्वारा तय की गई कानूनी स्थिति को देखते हुए, उच्च न्यायालय का अपमान करना उचित नहीं था

अपीलार्थी का वह भाग जिसने एम. ई. आर. सी. के समक्ष स्टेशन ताप दर (एस. एच. आर.) मानदंडों में छूट के लिए अपने अनुरोध से उत्पन्न न्यायाधिकरण के समक्ष अपील में अपनाए गए उपाय का संकेत दिया था। अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष याचिका एसएचआर मानदंडों में ढील देने के लिए थी। उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका यह थी कि एस. एच. आर. तय करना भेदभावपूर्ण और अधिकार से परे था। निस्संदेह, यदि अपीलार्थी न्यायाधिकरण के समक्ष सफल होता है, तो यह शायद उच्च न्यायालय में चुनौती को समाप्त कर देगा। अपीलार्थी ने न्यायाधिकरण के समक्ष अपनी याचिका को आगे नहीं बढ़ाया। इसलिए, रिट याचिका को विचारणीय नहीं माना जा सकता था। [पैरा 18] [906-जी-एच; 907-ए-बी] ट्रस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड v.

महाराष्ट्र राज्य

3. अपीलार्थी के मामले का आधार भेदभाव की याचिका पर आधारित है। सीधे शब्दों में कहें तो याचिका इस पर आधारित है

यू/एस द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय शुल्क नीति की शर्तें। 3 विद्युत अधिनियम 2003। शुल्क नीति के लिए आवश्यक है कि संचालन मानदंड कुशल, पिछले प्रदर्शन से संबंधित, उपलब्धि में सक्षम और उत्तरोत्तर बढ़ी हुई क्षमताओं को प्रतिबिंबित करने वाले होने चाहिए। वे अन्य कारकों के बीच तकनीकी प्रगति, ईंधन, पुराने उपकरण, संचालन की प्रकृति और सेवा के स्तर को भी ध्यान में रख सकते हैं। अपीलार्थी ने राष्ट्रीय शुल्क नीति के खंड 5.3 (च) पर जोर दिया, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि परिचालन मानदंड और शुल्क "मानक स्तर" पर होने चाहिए। केवल और पैरा 5.3 (एच) (2) द्वारा शासित उन इकाइयों के मामले को छोड़कर "मानक और वास्तविक के निचले स्तर" पर नहीं। हालाँकि, यह निवेदन अपीलार्थी के मामले को आगे नहीं ले जाएगा। मानक स्तर वे हैं जो द्वारा तय किए जाते हैं

शुल्क नीति की शर्तों द्वारा निर्देशित मानकों का अनुप्रयोग जबकि वास्तविक स्तर वे हैं जो वास्तव में अतीत में प्राप्त किए गए हैं। शुल्क नीति में उच्च दक्षता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन देने पर जोर दिया गया है ताकि

कुशल संचालन का लाभ प्राप्त करने के लिए अंतिम उपभोक्ता। [पैरा 29] [915-जी-एच; 916-ए-डी]

इसी तरह, जहां विधायिका का प्रतिनिधि वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करने या उन कारकों को ध्यान में रखने में विफल रहा है जिन पर विचार करने के लिए क़ानून द्वारा उसे अनिवार्य किया गया है या जिसने इसकी स्थापना की है बाहरी विचारों पर शुल्क का निर्धारण, न्यायालय [2019] 1 एस. सी. आर.

न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि क़ानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। हालाँकि, यह न्यायालय के कार्य का कोई हिस्सा नहीं है कि वह एक निर्णय के लिए अपने स्वयं के निर्धारण को प्रतिस्थापित करे जो एक विशेषज्ञ निकाय द्वारा भौतिक परिस्थितियों पर उचित विचार करने के बाद किया गया था। [पैरा 30] [917-एफ-जी]

5. विनियम बनाने की शक्ति विधायी प्रकृति की होती है। सी. पी. आर. आई. रिपोर्ट एम. ई. आर. सी. के समक्ष इसे पूरा करने के लिए एक इनपुट थी।

वह अभ्यास। एम. ई. आर. सी. ने शुल्कों के निर्धारण के लिए निर्धारित वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया। इसने उन कारकों को ध्यान में रखा जिन पर विचार करना क़ानून द्वारा अनिवार्य है। राष्ट्रीय शुल्क नीति, हितधारकों के सुझावों के साथ-साथ मूल्यांकन किया गया

विवादित विनियमन और तदनुसार अंतिम की पुष्टि करता है अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका को खारिज करने के लिए उच्च न्यायालय का निष्कर्ष। [पैरा 32] [918-एफ-एच]

पी. टी. सी. इंडिया लिमिटेड बनाम केंद्रीय विद्युत नियामक

आयोग (2010) 4 एससीसी 603: [2010] 3 एससीआर 609 -

पीछा किया।

ट्रस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड v. महाराष्ट्र राज्य

आंध्र प्रदेश पारेषण निगम लिमिटेड बनाम

साई रिन्यूएबल पावर प्रा. लि. लिमिटेड (2011) 11 एससीसी 34:

[2010] 8 एस. सी. आर. 636; औद्योगिक बिजली संगठन उपयोगकर्ता वी। आंध्र प्रदेश राज्य (2002) 3 एससीसी 711:

[2002] 2 एस. सी. आर. 273-पर निर्भर।

मामला कानून संदर्भ

[2010] 3 एससीआर 609

पीछा किया।

पै

रा 18

[2010] 8 एससीआर 636

उस पर भरोसा करें

पै

रा 30

[2002] 2 एससीआर 273

उस पर भरोसा करें

पै

रा 30

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 879

2019 .

उच्च न्यायालय के 18.04.2016 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2013 की रिट याचिका संख्या 2474 में बॉम्बे में न्यायपालिका।

पी. चिदंबरम, एस. के. रूंगटा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री अंजलि चंदुरकर,

हसन मुर्तजा, सुश्री दिव्या आनंद, कार्तिक आनंद, आलोक कुमार, अंकुर कश्यप, राजेश कुमार, ए. वी. रंगम, बडी ए. रंगनाथन, सुश्री स्तुति कृष्ण, सुश्री दीपा एम. कुलकर्णी, निशांत आर. कटनेश्वरकर, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, जे. 1. छोड़ दें।

दिया गया।

2. महाराष्ट्र द्वारा बनाए गए शुल्क विनियमन की वैधता

विद्युत नियामक आयोग (एम. ई. आर. सी.) से बॉम्बे में उच्च न्यायालय के समक्ष पूछताछ की गई थी। कानूनी और वैज्ञानिक दोनों तरह के शब्दों से परे अपीलार्थी की याचिका भेदभाव की है। द.

अपीलार्थी के अनुसार, स्टेशन ताप दर निर्धारित करने वाले वैधानिक विनियमन में भेदभाव निहित है। अपीलार्थी के अनुसार, डहाणू में इसके ताप विद्युत केंद्र को अन्य तुलनीय इकाइयों की तुलना में अधिक कठोर मानदंड के अधीन किया गया है। यह दावा किया जाता है कि एम. ई. आर. सी. ने राष्ट्रीय शुल्क नीति 2006 का उल्लंघन किया है। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी रिट याचिका की स्थिरता और वैधानिक विनियमन की वैधता को चुनौती देने के गुण-दोष दोनों पर निर्णय दिया।

इस प्रकार मामला इस अदालत में चला गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3. विद्युत अधिनियम 2003 10 जून 2003 को लागू हुआ।

धारा 82 के तहत गठित विद्युत नियामक आयोग हैं:

धारा 61 1 के तहत शुल्क के निर्धारण के लिए नियमों और शर्तों सहित धारा 181 के तहत विनियम बनाने के लिए सशक्त। एम. ई. आर. सी. ने एम. ई. आर. सी. (शुल्क के नियम और शर्तें) विनियम 2005 2 बनाए।

पांच साल की अवधि के लिए, वित्तीय वर्ष 2010-11 तक। जहां तक अपीलार्थी का संबंध है, विनियमों को वित्तीय वर्ष 2011-12 तक एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था।

4. विनियम 33.1। 3 स्टेशन ताप दर (एसएचआर) निर्धारित की गई।

एस. एच. आर. विद्युत ऊर्जा की एक इकाई उत्पन्न करने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा है। एसएचआर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ऊष्मा निवेश और ऊर्जा उत्पादन के बीच के अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है। एस. एच. आर. का दक्षता के साथ सह-संबंध है: एक उच्च एसएचआर तुलनात्मक अक्षमता को दर्शाता है जबकि एसएचआर में कमी दक्षता के बढ़ते स्तर से जुड़ी है। टैरिफ विनियम 2005 में सकल एसएचआर को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया था: शर्तें:

" 33.1. 3 . सकल स्टेशन ऊष्मा दर

(क) कोयला आधारित उत्पादन स्टेशनों के लिए सकल स्टेशन ताप दर

500 एम. डब्ल्यू. और उससे ऊपर के सेट

200/210/250 एम. डब्ल्यू. सेट

स्थिरीकरण के दौरान

2550 kCal/kWh

2600 kCal/kWh

अवधि

बाद की अवधि

2500 kCal/kWh

2450

kCal/kWh

नोट 1:

500 मेगावाट और उससे अधिक की इकाइयों के संबंध में जहां बॉयलर फ़ीड करता है

पंप बिजली से संचालित होते हैं, सकल स्टेशन गर्मी दर 40 होगी।

ऊपर बताए गए स्टेशन की ऊष्मा दर से kCal/kWh कम है।

नोट 2:

200/210/250 मेगावाट के संयोजन वाले उत्पादन स्टेशनों के लिए

सीटें और 500 मेगावाट और उससे अधिक के सेट, मानक सकल स्टेशन गर्मी दर भारित औसत स्टेशन गर्मी दर होगी।

उपरोक्त विनियमों में सभी कोयले के लिए एक समान मानदंड तय किए गए थे

आधारित तापीय उत्पादन केंद्र, बिना किसी भेद के अलग-अलग उत्पादन केंद्र। डहाणू थर्मल पर लागू मानक

1 1 धारा 181 (2) (जेडडी)

2 टैरिफ विनियम 2005 रिलाइंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड v. महाराष्ट्र राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अपीलार्थी का विद्युत केंद्र 2500 किलोकैलरी/किलोवाट घंटा था। यह मानक महाराष्ट्र राज्य के अन्य उत्पादन स्टेशनों पर भी लागू होता है। 5. 6 जनवरी 2006 को बिजली मंत्रालय में भारत संघ ने बिजली अधिनियम की धारा 3 के तहत राष्ट्रीय शुल्क नीति को अधिसूचित किया।

2003. नीति, अन्य बातों के साथ-साथ, संचालन मानदंडों सहित शुल्क निर्धारित करने के उद्देश्य से पालन किए जाने वाले सामान्य दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है।

उत्पादन स्टेशन। नीति के खंड 4 ने अपने उद्देश्यों को निम्नलिखित शब्दों में निर्धारित कियाः

" (क) उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

और प्रतिस्पर्धी दरें;

(ख) इस क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करना और निवेश आकर्षित करना। (ग) सभी क्षेत्राधिकारों में नियामक दृष्टिकोणों में पारदर्शिता, निरंतरता और पूर्वानुमेयता को बढ़ावा देना और न्यूनतम करना।

विनियामक जोखिमों की धारणाएँ;

(घ) प्रतिस्पर्धा, संचालन में दक्षता और आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार को बढ़ावा देना।

खंड 5 "शुल्क के लिए सामान्य दृष्टिकोण" को स्पष्ट करता है। खंड 5 (च) संचालन मानदंडों को निर्धारित करता हैः

" (च) प्रचालन मानक प्रोत्साहनों और प्रोत्साहनों के साथ संचालन के उपयुक्त प्रदर्शन मानदंडों को उचित के साथ विकसित करने की आवश्यकता होगी।

कुशल संचालन के लाभों को साझा करने की व्यवस्था

उपभोक्ता। पैरा 5.3 (एच) (2) में निर्दिष्ट मामलों को छोड़कर, शुल्कों में संचालन मापदंड "मानक स्तरों" पर होने चाहिए।

केवल और "मानक और वास्तविक से कम" पर नहीं। बेहतर परिचालन प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने के लिए यह आवश्यक है। मानदंड होने चाहिए

कुशल, पिछले प्रदर्शन से संबंधित, उपलब्धि में सक्षम और उत्तरोत्तर बढ़ी हुई दक्षताओं को प्रतिबिंबित करने में सक्षम और नवीनतम तकनीकी प्रगति, ईंधन, उपकरणों की पुरानी अवधि, संचालन की प्रकृति, उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली सेवा के स्तर आदि को भी ध्यान में रखा जा सकता है। निरंतर और सिद्ध अक्षमता

नियंत्रित और दंडित किया जाना चाहिए। केंद्रीय आयोग, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के परामर्श से, अधिसूचित करेगा उत्पादन

और संचरण के लिए समय-समय पर संचालन मानदंड। एस. ई. आर. सी. इन मानदंडों को अपनाएगा। यदि पिछले कई वर्षों से संचालन मानदंडों से बहुत कम रहा है, तो [2019] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस. ई. आर. सी. शिथिल मानदंडों को उपयुक्त रूप से तय कर सकते हैं और केंद्र द्वारा अधिसूचित मानदंडों को प्राप्त करने के लिए समय के साथ एक परिवर्तन का रास्ता बना सकते हैं। आयोग।

वितरण नेटवर्क के लिए संचालन मानदंडों को अधिसूचित किया जाएगा

संबंधित एस. ई. आर. सी. वितरण के लिए ऐसे मानदंडों को निर्धारित करने में दृष्टिकोण की एकरूपता के लिए, नियामकों के मंच को राज्य विशिष्ट के उपचार के लिए दिशानिर्देशों सहित दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए।

बहु-वर्षीय शुल्क के लिए खंड 5 (एच) विज्ञापनः " (ज) बहु-वर्षीय शुल्क

1 अप्रैल, 2006 से। इस ढांचे में पाँच साल की नियंत्रण अवधि होनी चाहिए। यद्यपि प्रारंभिक नियंत्रण अवधि संचरण और वितरण के लिए 3 वर्ष की अवधि की हो सकती है यदि नियामक आयोग द्वारा डेटा अनिश्चितताओं के कारण आवश्यक समझा जाता है। और अन्य व्यावहारिक विचार। विश्वसनीय आंकड़ों की कमी के मामलों में, उपयुक्त आयोग पहली नियंत्रण अवधि के लिए एम. वाई. टी. में धारणाओं को बता सकता है और एक नई नियंत्रण अवधि शुरू की जा सकती है।

जैसे-जैसे और अधिक विश्वसनीय डेटा उपलब्ध होता है।

प्रत्येक उपयोगिता के लिए आवश्यक पूंजीगत व्यय का आकलन करना आवश्यक है। न्यूनतम सेवा मानकों को पूरा करने के लिए।

6. अगस्त 2009 में, एम. ई. आर. सी. ने वित्तीय वर्षों-11 से 2014-15 के लिए बहु-वर्षीय शुल्क नियमों को लागू करने के उद्देश्य से एक 'मसौदा दृष्टिकोण पत्र' प्रकाशित किया। 23 अक्टूबर 2009 को, अपीलार्थी ने अपने निर्णय प्रस्तुत किए। 2010 में, एम. ई. आर. सी. ने केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (सी. पी. आर. आई.) से प्राप्त करने योग्य का पता लगाने के लिए एक रिपोर्ट सौंपी।

-महाराष्ट्र में ताप विद्युत संयंत्रों के लिए आर. एम. ए. एन. एस. मापदंड और रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड v.

महाराष्ट्र राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, जे।]

सुधार का सुझाव देना। सीपीआरआई ने एक स्वतंत्र मूल्यांकन किया

अपीलार्थी के संयंत्र (डी. टी. पी. एस.), टाटा पावर (उत्पादन)-टी. पी. सी. जी. और महाराष्ट्र राज्य बिजली उत्पादन कंपनी लिमिटेड के संबंध में

(एमएसपीजीसीएल)। अपीलार्थी के अनुसार, उनके संयंत्र के संबंध में कोई सिफारिश नहीं की गई थी क्योंकि यह निर्धारित एसएचआर से बेहतर प्रदर्शन कर रहा था।

7. जुलाई 2010 में, एम. ई. आर. सी. ने एक और मसौदा दृष्टिकोण पत्र प्रकाशित किया।

मसौदा विनियमों के साथ वित्तीय वर्षों 2011-12 से 2015-16 के लिए प्रस्तावित बहु-वर्षीय शुल्क विनियमों के संबंध में। 26 अक्टूबर 2010 को, अपीलार्थी ने मसौदा दृष्टिकोण पत्र पर प्रस्तुतियाँ दीं। 4 फरवरी 2011 को एम. ई. आर. सी. (बहु-वर्षीय शुल्क) विनियम, 2011 3 को अधिसूचित किया गया था। विनियमन 2 (32) सकल स्टेशन ताप दर को इस प्रकार परिभाषित करता हैः

" (32) " सकल स्टेशन ऊष्मा दर "का अर्थ है ऊष्मा ऊर्जा का निवेश

जनरेटर पर एक किलोवाट घंटे की विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए आवश्यक किलो कैलोरी

टर्मिनल "।

विनियमन 44 तापीय के संचालन के लिए मानदंड प्रदान करता है।

उत्पादन स्टेशन। विनियमन 44.2 मौजूदा उत्पादन स्टेशनों के लिए सकल स्टेशन ताप दरों को निम्नलिखित शब्दों में निर्धारित करता हैः

" 44.2 सकल स्टेशन ताप दर-मौजूदा उत्पादन स्टेशनों के लिएः

क) मौजूदा कोयला आधारित तापीय उत्पादन केंद्र, इसके अलावा

जो खंड (बी), (सी) और (डी) के तहत आते हैंः

200/210/250 एम. डब्ल्यू. ने 500 एम. डब्ल्यू. और उससे अधिक के सेट लगाए

2450 के. सी. एल./के. डब्ल्यू. एच.

2425 के. सी. एल./के. डब्ल्यू. एच.

नोट 1

500 मेगावाट और उससे अधिक की इकाइयों के संबंध में, जहां बॉयलर फीड पंप बिजली से संचालित होते हैं, सकल स्टेशन ताप दर होगी ऊपर बताए गए सकल स्टेशन ताप दर से 40 किलो कैलोरी/किलोवाट घंटे कम हो।

नोट 2

200/210/250 एम. डब्ल्यू. सेटों और 500 एम. डब्ल्यू. और उससे अधिक सेटों के संयोजन वाले उत्पादन स्टेशनों के लिए, मानक सकल स्टेशन ताप दर भारित औसत स्टेशन ताप दर होगी।

ख) महाराष्ट्र राज्य बिजली के तापीय उत्पादन केंद्र

जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (एम. एस. पी. जी. सी. एल.):

के. कैल./के. डब्ल्यू.

एच.

कोराडी खापेरखेड़ा चंद्रपुर नासिक भुसावल पारस परली

वर्ष

बहि

ष्कृत करना

इकाई

उहित

№. 6

नं. 3

2722 2734

2617

3

186

वित्त वर्ष 2010-2965

2560

2745

11

2753

3

199

2626 2731 2742

2568

वित्त वर्ष 2011-2975

12

2740 2751

3

212

2762

2635

वित्त वर्ष 2012-2985

2575

13

2679

3

225

वित्त वर्ष 2013-2873

2424

14

2670 2677 3237

वित्त वर्ष 2014 2881

2429

2684

2544

15

2433

2549 2677 2683

3

250 2690

वित्त वर्ष 2015-2889

16

बशर्ते कि आयोग गर्मी दर के लिए मानदंडों को संशोधित कर सकता है

नवीनीकरण के मामले में उपर्युक्त उत्पादन स्टेशनों के लिए

& जनरेटिंग स्टेशन के लिए आधुनिकीकरण किया गया।

ग) टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की तापीय उत्पादन इकाइयाँ।

उत्पादन व्यवसाय (टी. पी. सी.-जी.):

के.

कैल./के. डब्ल्यू. एच.

इकाई-4 इकाई-5

इकाई-6

वर्ष

तेल और गैस के

साथ

मिश्रण करें। में

में से

अनुपात

50 : 50 *

2570 2575

251
9

वित्त वर्ष 2011-12

2576 2583

252
4

वित्त वर्ष 2012-13

2591

252
9

2581

वित्त वर्ष 2013-14

2586

2573

253
4

वित्त वर्ष 2014-15

वित्त वर्ष 2015-16 2591 2581

253
9

* यदि तेल और गैस मिश्रण में भिन्नता +/- 5 प्रतिशत से अधिक है, तो

इकाई 6 के लिए ऊष्मा दर को वास्तविक तेल पर विचार करते हुए अनुमोदित किया जाएगा। और गैस मिश्रण।

घ) रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का तापीय उत्पादन केंद्र।

उत्पादन व्यवसाय (आरइन्फ्रा-जी):

वर्ष	के. कैल./के. डब्ल्यू. एच. दहानु टी. पी. एस.
वित्त वर्ष 2011-12	2350
वित्त वर्ष 2012-13	2355
वित्त वर्ष 2013-14	2360
वित्त वर्ष 2014-15	2365
वित्त वर्ष 2015-16	2370

" 9

8. उपरोक्त विनियमन इंगित करता है कि बचत करें और इसके अलावा

खंड (बी), (सी) और (डी) में निर्धारित श्रेणियों को छोड़कर, मौजूदा कोयला आधारित ताप उत्पादन स्टेशनों के लिए एस. एच. आर. 2450 के. सी. एल./के. डब्ल्यू. एच. (200/210/250 एम. डब्ल्यू. सेटों के लिए) और 2425 के. सी. एल./के. डब्ल्यू. एच. (500 एम. डब्ल्यू. सेटों और उससे अधिक के लिए) के एक समान स्तर पर आंका गया है। बहिष्कृत श्रेणियाँ उत्पन्न करने वाली हैं

एम. एस. पी. जी. सी. एल. की इकाइयों के लिए निर्धारित किया गया है। हालांकि, पारस में इकाई 3 और परली में इकाई 6 के लिए अपवर्जन के भीतर एक अपवर्जन है, क्योंकि ये इकाइयां निम्नलिखित में निर्धारित समान मानदंडों द्वारा नियंत्रित होती हैं। खंड (ए)। टी. पी. सी.-जी. की इकाइयों 4,5 और 6 के लिए प्रावधान खंड (सी) में निर्धारित किया गया है। टी. पी. सी.-जी. की इकाई 8 के लिए, लागू एस. एच. आर. 2450 के. सी. एल./के. डब्ल्यू. एच. की समान दर के संदर्भ में है, क्योंकि यह इकाई खंड (सी) में निर्दिष्ट नहीं है।

9. अपीलार्थी की शिकायत इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि एक सख्त

इसके दहानु टी. पी. एस. के लिए मानक या मानक निर्धारित किए गए हैं। विनियमन 44.2 (ए) में 2450 के. सी. एल./के. डब्ल्यू. एच. के समान मानदंड के विपरीत, डहाणू टी. पी. एस. के लिए एस. एच. आर. वित्तीय वर्ष 2011-12 में 2350 से वित्तीय वर्ष 2015-16 में 2370 के बीच होता है। अनिवार्य रूप से, यह आर-इन्फ्रा के डहाणू टी. पी. एस. के मामले में अधिक सख्त एस. एच. आर. का यह निर्देश है जो वर्तमान मामले में विवाद का केंद्र है।

10. भेदभाव की अपनी शिकायत को मजबूत करने के लिए, अपीलार्थी

एम. ई. आर. सी. द्वारा अधिसूचित बहु-वर्षीय शुल्क नियमों पर भरोसा किया है पिछली अवधि (2005-10) और बाद की अवधि (2016-21) के लिए। एम. ई. आर. सी. (बहु-वर्षीय शुल्क) विनियम 20154 जो

1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2020 तक आरइन्फ्रा के डहाणू टी. पी. एस. को अन्य कोयला आधारित तापीय उत्पादन स्टेशनों के बराबर रखा गया। विनियमन

. 4 यह निम्नलिखित शब्दों में हैः

" 44.4 मौजूदा कोयला आधारित तापीय के लिए सकल स्टेशन ताप दर विनियमन के अंतर्गत आने वाले स्टेशनों के अलावा अन्य स्टेशनों का निर्माण

44.5 और 44.6 होगाः

500 एम. डब्ल्यू. सेट

(उप

300 मेगावाट सेट

200/210/250 एम. डब्ल्यू

महत्वपूर्ण बॉयलर)

सेट

2450 के. सी. एल./के. डब्ल्यू. एच.

2400 के. सी. एल./के. डब्ल्यू. एच.

2375 के. सी.

एल./के. डब्ल्यू. एच.

नोट 1

विद्युत संचालित, सकल स्टेशन ताप दर 40 किलो कैलोरी/लीटर होगी। ऊपर निर्दिष्ट सकल स्टेशन ताप दर से kWh कम है।

नोट 2

200/210/250 मेगावाट के संयोजन वाले उत्पादन स्टेशनों के लिए

सेट और 300 मेगावाट और 500 मेगावाट सेट, मानक सकल स्टेशन

ताप दर भारित औसत स्टेशन ताप दर होगी। विनियमन
44.5 में कोयला आधारित तापीय के लिए एसएचआर शामिल है।

एम. एस. पी. जी. सी. एल. के नेरटिंग स्टेशन। विनियम 44.6 एस. एच. आर. को निर्दिष्ट करता है

पीसी-जी। विनियम 44.5 और 44.6 नीचे दिए गए हैं:

" 44.5 मौजूदा कोयला आधारित तापीय के लिए सकल स्टेशन ताप दर

महाराष्ट्र राज्य बिजली उत्पादन के उत्पादन केंद्र कंपनी लिमिटेड (एम. एस. पी. जी. सी. एल.) होगा:

वर्ष कोराडी खापेरखेड़ा चंद्रपुर

नासिक भुसावल परली

2764 2761 2859

2688

वित्त वर्ष 2016-17

2864

2606

2697

2773 2770 2868

वित्त वर्ष 2017-18

2874

2614

2706

2622

वित्त वर्ष 2018-19

2783

2884

वित्त वर्ष 2019-20 2893

2630

2715

बशर्ते कि आयोग सकल स्टेशन ताप को संशोधित कर सकता है किसी भी नवीनीकरण के मामले में इन उत्पादन स्टेशनों के लिए दर मानदंड

& आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

44.6 मौजूदा तापीय उत्पादन के लिए सकल स्टेशन ताप दर

टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के स्टेशन-उत्पादन व्यवसाय

(टी. पी. सी.-जी.) होगाः

इकाई-5

इकाई-6

वर्ष

100% तेल के साथ।

तेल और

100% गैस के साथ

गोलीबारी

गैस मिश्रण में आग

लगाना

अनुपात

50 में सेः 50 *

2544

2421

2666

2525

वित्त वर्ष 2016-17

2671

वित्त वर्ष 2017-18

2533

2426

2549

2541

2676

2431

2554

वित्त वर्ष 2018-19

2681

2559

2436

2549

वित्त वर्ष 2019-20

* तेल और गैस मिश्रण में भिन्नता +/- 5 प्रतिशत से अधिक होने पर,

इकाई 6 के लिए सकल स्टेशन ताप दर को मंजूरी दी जाएगी।

वास्तविक तेल और गैस मिश्रण पर विचार करते हुए "।

विनियम 44.5 में भुसावल में इकाइयाँ 4 और 5 और इकाइयाँ 6 और 7 हैं।

परली को बाहर कर दिया गया है। इसी तरह, टी. पी. सी.-जी के लिए इकाई 8 को विनियमन 44.6 में एस. एच. आर. से बाहर रखा गया है।

11. कथन को पूरा करने के लिए, यह ध्यान दिया जा सकता है कि 2

सितंबर 2011 में, एम. ई. आर. सी. ने एम. वाई. टी. नियमों के कार्यान्वयन को स्थगित करने के लिए अपीलार्थी द्वारा दायर एक याचिका पर एक आदेश पारित किया। उस पर

5 मई 2012 में, अपीलार्थी ने वित्तीय वर्षों 2010-11 से 2015-16 के लिए अपनी व्यावसायिक योजना के अनुमोदन के लिए एक याचिका प्रस्तुत की। अपीलार्थी ने अनुरोध किया कि मानदंड में ढील दी जानी चाहिए और इसे मानक एसएचआर के अनुरूप लाया जाना चाहिए। 25 अक्टूबर 2012 को एम. ई. आर. सी. ने एम. वाई. टी. पर एक आदेश पारित किया।

आरइन्फ्रा-जी के लिए व्यापार योजना में कहा गया है कि उसने एम. वाई. टी. नियमों के आधार पर एस. एच. आर. के लिए मानदंडों पर विचार किया था। एम. ई. आर. सी. ने इस प्रकार कहाः

" स्टेशन गर्मी दर

4.5. 2

आरइन्फ्रा-जी ने प्रस्तुत किया कि एमवाईटी विनियम, 2011 ने मानदंड तैयार किए हैं

संयंत्र के ऐतिहासिक प्रदर्शन के आधार पर डीटीपीएस के लिए। आरइन्फ्रा-जी

प्रस्तुत किया कि यह मानता है कि सभी परिचालन मापदंड, "मानदंड"

द्वितीयक तेल खपत, सहायक ऊर्जा सहित खपत, स्टेशन गर्मी दर और पारगमन हानि को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

एक समान खेल का मैदान बनाना और विनियमित लोगों के लिए अनुशासन लाना राज्य के लाभार्थियों के लाभ के लिए संस्थाएं। आरइन्फ्रा-जी

प्रस्तुत किया कि मानदंडों का सार [2019] 1 एस. सी. आर. बनाना होना चाहिए।

उद्योग-व्यापक प्रदर्शन के आधार पर मानक और बाजार को उन मानकों की तुलना में उपयोगिताओं के प्रदर्शन को पुरस्कृत या दंडित करने दें। आरइन्फ्रा-जी ने आगे कहा कि इस तरह का तंत्र न केवल कम प्रदर्शन करने वाली उपयोगिताओं को प्रदर्शन करने के लिए मजबूर करेगा, बल्कि उपभोक्ताओं के समग्र लाभ में बाजार में बिजली की प्रतिस्पर्धी कीमत भी लाएगा।

2011 के मामले No.45 के तहत अपनी याचिका में, आरइन्फ्रा-जी ने एमवाईटी में डीटीपीएस के एसएचआर के लिए अलग मानदंड निर्दिष्ट करने का मुद्दा उठाया था। विनियम, 2011 और तर्क दिया कि उत्पादन स्टेशनों के लिए कोई भी मानक समग्र रूप से उद्योग के प्रदर्शन के आधार पर बनाया जाना चाहिए और इसके ऐतिहासिक प्रदर्शन के आधार पर एक संयंत्र के लिए विशिष्ट नहीं होना चाहिए।

4.5. 4

आरइन्फ्रा-जी ने कहा कि हालांकि, किसी भी संयंत्र के विशिष्ट मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मानदंडों से विशिष्ट छूट प्रदान की जा सकती है। उक्त याचिका में, आरइन्फ्रा-जी ने अपनी बात सामने लाने के लिए अन्य नियामक आयोगों द्वारा अपनाए गए एसएचआर मानदंडों पर भी प्रकाश डाला

कि एस. एच. आर. मानदंडों को इकाई के आकार और उम्र बढ़ने के साथ जोड़ा जाना चाहिए न कि उत्पादन करने वाली कंपनी के प्रदर्शन से। आरइन्फ्रा जी ने आगे कहा कि कुशलता के लिए मानदंडों को कड़ा किया जा रहा है

संयंत्र का उत्पादन समानता और लाभकारी दक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है।

4.5. 5

तदनुसार, आरइन्फ्रा-जी ने आयोग से अनुरोध किया है कि डी. टी. पी. एस. के लिए मानदंडों को कड़ा न किया जाए और इसे 2450 के. सी. एल./के. डब्ल्यू. एच. के औद्योगिक मानक स्तर पर बनाए रखा जाए। आरइन्फ्रा-जी ने प्रस्तुत किया कि आयोग ने उक्त याचिका पर 2 सितंबर, 2011 के मामले में अपने आदेश में आरइन्फ्रा-जी के उक्त तर्क पर कोई विशिष्ट निर्णय नहीं दिया है; हालाँकि कहा गया है कि आयोग आवश्यकता पड़ने पर एस. एच. आर. और ओ. ई. एम. लागत के लिए एम. वाई. टी. मानदंडों को बदल सकता है।

4.5. 6 आयोग का विचार है कि संयंत्र के ऐतिहासिक प्रदर्शन के आधार पर मानदंडों को स्टेशन वार तय किया जा सकता है।

एस. एच. आर. ट्रस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड v. का राज्य

[AHARASTRA [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

संयंत्र की आयु, प्रौद्योगिकी पर निर्भर है उपयोग किया गया, संयंत्र की मरम्मत के लिए किया गया पूंजीगत व्यय, नियमित रूप से

मरम्मत और रखरखाव खर्च और विभिन्न अन्य

कारक। इसलिए एस. एच. आर. में व्यापक भिन्नता हो सकती है। पौधे। इसके अलावा, यदि आयोग बेंचमार्क प्राप्त करता है

केवल उद्योग-व्यापक प्रदर्शन पूंजी पर विचार करना और खर्च किए गए परिचालन व्यय, उत्पादन करने वाली कंपनी नहीं कर सकती है

कुशलता से काम करना जारी रखने के लिए पर्याप्त प्रेरणा है

यह अतीत में था। इसलिए, एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करना है एक लक्ष्य जो उत्पादन संयंत्र को पर्याप्त रूप से प्रेरित करेगा

मौजूदा स्तरों पर या उससे बेहतर प्रदर्शन करें और अभी भी कमाई की गुंजाइश है

उचित नियामक प्रक्रिया का पालन करने के बाद अंतिम रूप दिया गया सभी हितधारकों के विचारों पर विचार और विचार-विमर्श करना

विभिन्न मुद्दे। ऊपर चर्चा किए गए सभी तथ्यों पर विचार करते हुए,

आयोग एम. वाई. टी. मानदंडों में बदलाव करने में कोई योग्यता नहीं पाता है। एस. आर. के लिए। इसलिए, हालांकि आरइन्फ्रा-जी ने एक एसएचआर का प्रस्ताव दिया है

2,450 के. सी. ए. एल./के. डब्ल्यू. एच. के अनुसार आयोग ने एस. एच. आर. पर विचार किया है।

एमवाईटी विनियम, 2011।

4.5. 7

वित्त वर्ष 2011-12 के लिए, आयोग ने एसएचआर पर विचार किया है

2011 के मामले No.163 में ए. आर. आर. आदेश में अनुमोदित। एसएचआर दूसरे नियंत्रण के लिए आरइन्फ्रा-जी आयोग द्वारा अनुमोदित

अवधि इस प्रकार है:

तालिका 5: दूसरे नियंत्रण के लिए स्वीकृत स्टेशन गर्मी दर

अवधि

स्टेशन की गर्मी

वित्त वर्ष 2011-12। वित्त वर्ष 2012-13 वित्त वर्ष 2013-14 वित्त वर्ष 2014-15

एफवाई

2015-16

दर

(kCal/kWh)

2500 के रूप में प्रस्तुत किया गया

2450

2450

2450

2450

द्वारा रिफ्रा-जी 2500 द्वारा अनुमोदित

2360

2365

2370

2355

द.

आयोग

12. 7 दिसंबर 2012 को, अपीलार्थी ने इसके तहत एक अपील दायर की विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 111 के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष 25 अक्टूबर 2012 के आदेश के खिलाफ व्याख्यान (एपीटीईएल)।

अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया कि एम. ई. आर. सी. को टैरिफ विनियम 2011 के विनियम 99 और 100 के तहत अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहिए था ताकि कठिनाइयों को दूर किया जा सके क्योंकि एस. एच. आर. जो दहानु टी. पी. एस. के लिए निर्धारित किया गया था, वही नहीं था जो समान रूप से स्थित उत्पादन इकाइयों के लिए था। 13. 3 अक्टूबर 2013 को, अपीलार्थी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर की।

विनियमन 44.2 (डी) को चुनौती देने का उद्देश्य जो महाराष्ट्र राज्य में अन्य उत्पादन स्टेशनों की तुलना में डहाणू टी. पी. एस. के लिए एक अलग एस. एच. आर. निर्दिष्ट करता है। अपीलार्थी ने 25 अक्टूबर 2012 के एम. ई. आर. सी. के आदेश के खिलाफ न्यायाधिकरण के समक्ष अपील के लंबित होने का खुलासा किया, जिसमें मानदंडों में ढील देने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था। 14. एम. ई. आर. सी. ने रिट याचिका का विरोध किया। एम. ई. आर. सी. ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता ने वित्तीय वर्षों 2010-11 से 2015-16 और 2450 के एस. एच. आर. के लिए अपनी व्यावसायिक योजना की मंजूरी के लिए एक ठोस याचिका दायर की थी।

2012-13 से 2015-16 के लिए kCal/kWh। एम. ई. आर. सी. ने व्यापार योजना पर अपने निर्णय के दौरान टैरिफ नियमों के तहत वही एस. एच. आर. अपनाया था। एम. ई. आर. सी. ने तर्क दिया कि चूंकि न्यायाधिकरण के समक्ष अपील लंबित थी, इसलिए अपीलार्थी संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उपचार करने का हकदार नहीं था।

15. विद्युत के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण ने 8 अप्रैल 2015 को यह दर्ज करते हुए अपील का निपटारा कर दिया कि यह बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष रिट कार्यवाही की स्थापना को देखते हुए जीवित नहीं रहा। अपीलार्थी

यह दावा करता है कि जब रिट याचिका की सुनवाई की जा रही थी, तब इसने उच्च न्यायालय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि न्यायाधिकरण के समक्ष अपील लंबित नहीं थी और उसका निपटारा कर दिया गया था।

16. उच्च न्यायालय ने 18 अप्रैल 2016 के अपने फैसले से रिट याचिका को खारिज कर दिया। इस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए कि याचिका में योग्यता की कमी थी, उच्च न्यायालय निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचाः (i) एम. ई. आर. सी. ने धारा 181 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए वैधानिक विनियमों को तैयार करने में प्रक्रिया का पालन किया था।

अपीलार्थी सहित हितधारकों को सीपीआरआई रिपोर्ट के आधार पर प्रकाशित मसौदा दृष्टिकोण पत्र पर अपने सुझाव देने का अवसर;

(ii) सी. पी. आर. आई. को महाराष्ट्र राज्य में विभिन्न बिजली स्टेशनों के लिए एस. एच. आर. के लिए मानदंड तय करने के लिए एक अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया था।

और यह सीपीआरआई द्वारा एकत्रित तकनीकी सामग्री के रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड v होने के बाद ही था।

(iii) एम. ई. आर. सी. ने शुल्क नीति में विकसित सिद्धांतों को लागू किया है जो यह निर्धारित करता है कि संचालन मानदंड "कुशल, पिछले प्रदर्शन से संबंधित, उपलब्धि में सक्षम और उत्तरोत्तर बढ़ी हुई क्षमताओं को दर्शाते हुए" होने चाहिए। अपीलार्थी के डहाणू टी. पी. एस. के पिछले प्रदर्शन को भी ध्यान में रखा गया था। (iv) अपीलार्थी द्वारा आग्रह की गई दलीलों को दो कारणों से स्वीकार नहीं किया गया था जो उच्च न्यायालय द्वारा निम्नानुसार तैयार किए गए थेः

" सबसे पहले, यदि इस प्रस्तुति को स्वीकार कर लिया जाता है तो एक विशेषज्ञ विश्लेषण करने की पूरी कवायद, प्रत्येक थर्मल का काम करना।

पिछले प्रदर्शन सहित विभिन्न कारकों का अध्ययन करके एसएचआर का निर्धारण करने के लिए पावर स्टेशन को निरर्थक माना जाएगा। दूसरा, टैरिफ मानकों को यथार्थवादी डेटा और उसके विचार पर तय करने की आवश्यकता है, क्योंकि सार्वजनिक हित सीधे बिजली टैरिफ के निर्धारण में शामिल है। याचिकाकर्ता के तर्क को यदि स्वीकार कर लिया जाता है तो इसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति भी पैदा होगी कि यथार्थवादी मानक अवास्तविक या छद्म मानदंडों को तय करने के लिए विचलित हो जाते हैं। यह निश्चित रूप से स्वीकार्य नहीं है और बिजली के उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ होने के कारण सार्वजनिक हित के खिलाफ है। याचिकाकर्ता का प्रस्तुत करना केवल याचिकाकर्ता के लाभ के एकमात्र विचार से है, जबकि दूसरे प्रतिवादी द्वारा निर्धारित किए जाने वाले मानदंडों और मानकों की अवहेलना करते हुए

बिजली शुल्क "।

(v) संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय तकनीकी मापदंडों पर निर्णय नहीं ले सकता है या इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि एम. ई. आर. सी. द्वारा निर्धारित मानदंड अनुचित हैं।

(vi) धारा 181 के तहत शुल्क विनियम बनाने की शक्ति

विद्युत अधिनियम 2003 एक विधायी चरित्र का है। विनियम अधीनस्थ विधान का गठन करते हैं। एक बार जब एम. ई. आर. सी. ने विद्युत अधिनियम द्वारा अनिवार्य उचित प्रक्रियाओं का पालन कर लिया है, तो न्यायालय केवल इस आधार पर नियमों में हस्तक्षेप नहीं करेगा कि अपीलार्थी के बिजली केंद्र के लिए निर्धारित एस. एच. आर. अपने समकक्षों से कम दर पर तय किया गया था।

(vii) एस. एच. आर. निर्धारित करने में उत्पादक की लाभप्रदता ही एकमात्र विचार नहीं है। विनियम भी हित में बनाए गए हैं -

(viii) बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाने के बाद, अपीलार्थी अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना उचित नहीं था।

226 " उसी मुद्दे पर "जब न्यायाधिकरण पर्याप्त राहत प्रदान करने की स्थिति में था। इस तरह की रिट याचिका का आनंद लेना, जब क़ानून द्वारा एक वैकल्पिक उपाय प्रदान किया जाता है, तो बिजली अधिनियम के तहत वैधानिक तंत्र निरर्थक हो जाएगा। अनुच्छेद 226 के तहत याचिका को प्रक्रिया का दुरुपयोग माना गया था।

याचिका को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

17. उच्च न्यायालय के फैसले पर हमला करते हुए,

वरिष्ठ वकील श्री पी. चिदंबरम ने आग्रह किया कि उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं था कि ए. पी. टी. ई. एल. के समक्ष अपील के लंबित होने को देखते हुए, अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का सहारा लेना प्रक्रिया का दुरुपयोग है। विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि ए. पी. टी. ई. एल. के समक्ष अपील की लंबितता का खुलासा उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका के पैराग्राफ 27 में किया गया थाः

" 27. जैसा कि ऊपर कहा गया है, याचिकाकर्ताओं ने अपील को प्राथमिकता दी है

विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष 2013 का सं. 4

25 अक्टूबर 2012 के आदेश को चुनौती देते हुए क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 याचिकाकर्ता की छूट के लिए प्रार्थना की अनुमति नहीं देता है

एम. वाई. टी. के विनियम 99 और 100 के तहत मानदंडों का

नियम। वर्तमान याचिका एम. वाई. टी. विनियमों के विनियमन 44.2 (डी) के अधिकार, वैधता और वैधता को चुनौती देती है जो पहले याचिकाकर्ताओं के लिए एस. एच. आर. मानदंडों को तय करता है। उपरोक्त को छोड़कर, याचिकाकर्ताओं ने इस विषय के संबंध में कोई अन्य याचिका दायर नहीं की है

इस माननीय न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान याचिका का मामला।

एम. ई. आर. सी. द्वारा उठाई गई आपत्ति के जवाब में, निम्नलिखित दावा

उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा दायर प्रत्युत्तर में निहित थाः

" 2.3 . याचिका में याचिकाकर्ताओं ने अन्य बातों के साथ-साथ पैराग्राफ में लिखा है

27 इसके बारे में इस माननीय न्यायालय को बताया गया कि उन्होंने बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष 2013 की अपील संख्या 4 को प्राथमिकता दी है, जिसमें 2011 के मामले संख्या 156 में पारित 25 अक्टूबर 2012 के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें बिजली के लिए याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया था।

एम. वाई. टी. ट्रस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के विनियम 99 और 100 के तहत मानदंडों में ढील।

महाराष्ट्र राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

नियम। यह भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का स्थापित कानून है कि बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण के पास कोई शक्ति नहीं है,

विनियामक आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों की वैधता या वैधता में जाने के लिए प्राधिकरण या अधिकार क्षेत्र। विनियम 44.2 (घ) को वर्तमान रिट याचिका में चुनौती दी गई है और यह किसी अन्य न्यायालय में किसी अन्य याचिका या अपील का विषय नहीं है जैसा कि याचिका के पैराग्राफ 27 में कहा गया है। वास्तव में, याचिकाकर्ताओं ने याचिका के लिए प्रदर्शनी-के में संलग्नक के बिना अपील ज्ञापन की एक प्रति संलग्न की गई है। इस बात से इनकार किया जाता है कि कोई भी मंच खरीदारी है। उक्त अपील की सुनवाई तब से अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा की गई है, किसी भी मामले में, अपील की अंतिम सुनवाई में याचिकाकर्ताओं द्वारा दबाव नहीं डाला गया था। प्रत्यर्थी संख्या 2 की शिकायत,

किसी भी स्थिति में, जीवित नहीं रहता है। ”

अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही की स्थिरता पर अपीलार्थी का निवेदन यह है कि न्यायाधिकरण के समक्ष अपील का दायरा रिट याचिका के दायरे से पूरी तरह से अलग था। अपीलार्थी ने 25 अक्टूबर 2012 के एम. ई. आर. सी. के आदेश के खिलाफ न्यायाधिकरण का रुख किया, जिसने निम्नलिखित मानदंडों में ढील देने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। टैरिफ विनियम 2011 के विनियम 99 और 100। याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष विनियमों के अधिकारों को चुनौती दी गई और विनियमों की वैधता को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एकमात्र उपाय उपलब्ध था।

18. अनुच्छेद 226 के तहत याचिका की स्थिरता पर, हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने पी. टी. सी. इंडिया लिमिटेड बनाम केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग 3 में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले द्वारा स्थापित कानून की स्थिति की अनदेखी की है। द.

संविधान पीठ ने विचार किया कि क्या विद्युत के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण के पास केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों की वैधता पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है। सी. ई. आर. सी. को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 178 के तहत विनियम बनाने की शक्ति सौंपी गई है। संविधान पीठ ने कहा कि धारा 178 के तहत बनाए गए विनियमन की वैधता का परीक्षण केवल न्यायिक समीक्षा का प्रयोग करने वाले न्यायालय के समक्ष किया जा सकता है। जबकि न्यायाधिकरण किसी विनियमन की व्याख्या से जुड़े विवाद पर निर्णय ले सकता है, जिसके लिए धारा 111 के तहत अपील विचारणीय होगी, किसी विनियमन की वैधता पर न्यायाधिकरण के समक्ष कोई अपील नहीं की जा सकती है। निष्कर्षों का सारांश

निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

" (iii) धारा 178 के तहत एक विनियमन प्रत्यायोजित विधान के अधिकार के तहत बनाया जाता है और इसके परिणामस्वरूप इसकी वैधता का परीक्षण केवल अदालतों के समक्ष न्यायिक समीक्षा कार्यवाही में किया जा सकता है न कि बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील के माध्यम से।

उक्त अधिनियम की धारा 111।

(iv) 2003 के अधिनियम की धारा 121 अपीलीय न्यायाधिकरण को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान नहीं करती है। धारा 121 में "आदेश", "निर्देश" या "निर्देश" शब्द बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण में न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान नहीं करते हैं।

इस निर्णय में, हम अंग्रेजी अधिकारियों का विश्लेषण नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हम उन अधिकारियों से पाते हैं कि इंग्लैंड में कुछ मामलों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति अधिनियम के तहत गठित न्यायाधिकरणों को स्पष्ट रूप से प्रदान की गई है। वर्तमान 2003 के अधिनियम में, धारा 178 के तहत बनाए गए विनियमों की वैधता की न्यायिक समीक्षा की शक्ति विद्युत के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण को प्रदान नहीं की गई है।

(v) यदि धारा 178 के तहत बनाए गए विनियमन की व्याख्या पर निर्णय लेने में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो निश्चित रूप से धारा 111 के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील होगी, हालांकि, धारा 178 के तहत बनाए गए विनियमन की वैधता पर अपीलीय न्यायाधिकरण में कोई अपील नहीं होगी।

अतः न्यायालय का निष्कर्ष निम्नलिखित शब्दों में हैः

" विद्युत के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण के पास विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के तहत केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों की वैधता तय करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। हालाँकि, विनियमों की वैधता को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की मांग करके चुनौती दी जा सकती है।

भारत "।

यद्यपि उपरोक्त सिद्धांत सी. ई. आर. सी. द्वारा धारा 178 के तहत बनाए गए विनियमों के संदर्भ में उभरते हैं, निर्णय का तर्क राज्य विद्युत द्वारा धारा 181 के तहत बनाए गए विनियमों तक फैला हुआ है। विनियामक आयोग। संविधान पीठ द्वारा तय की गई कानूनी स्थिति को देखते हुए, हमारा स्पष्ट विचार है कि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत संवैधानिक उपचार का सहारा लेने के लिए अपीलार्थी का अपमान करने में उचित नहीं था। वास्तव में, एम. ई. आर. सी. द्वारा बनाए गए विनियमों की वैधता को केवल उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। इसलिए, अनुच्छेद 226 के तहत उपचार को अपनाने के लिए लागत लगाना अनुचित था। ट्रस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड v पर तथ्य का कोई दमन नहीं था।

महाराष्ट्र राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अपीलार्थी की ओर से जिसने न्यायाधिकरण के समक्ष अपील में अपनाए गए उपाय का संकेत दिया था, जो एम. ई. आर. सी. के समक्ष एस. एच. आर. मानदंडों में ढील देने के उसके अनुरोध से उत्पन्न हुआ था। अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष याचिका एसएचआर मानदंडों में ढील देने के लिए थी। उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका यह थी कि एस. एच. आर. तय करना भेदभावपूर्ण और अधिकार से परे था। निस्संदेह, यदि अपीलार्थी न्यायाधिकरण के समक्ष सफल होता है, तो यह शायद उच्च न्यायालय में चुनौती को समाप्त कर देगा। अपीलार्थी, जैसा कि विद्वान वरिष्ठ वकील ने अदालत को सूचित किया, न्यायाधिकरण के समक्ष अपनी याचिका के साथ आगे नहीं बढ़ा। इसलिए, रिट याचिका को विचारणीय नहीं माना जा सकता था।

19. उच्च न्यायालय ने विनियमों की वैधता को चुनौती देने के गुण-दोष पर विचार किया है। विनियमन की संवैधानिक वैधता

44.2 (घ) शुल्क विनियम 2011 इन कार्यवाहियों में चुनौती का विषय है। न्यायालय के समक्ष जिस मूल चुनौती को संबोधित किया गया है, वह भेदभाव की याचिका पर आधारित है। इस चुनौती के बारे में विस्तार से बताते हुए वरिष्ठ वकील श्री पी. चिदंबरम ने निम्नलिखित दलीलों का आग्रह कियाः

((i) विनियम 44.2 (घ) राष्ट्रीय शुल्क नीति के विपरीत है। धारा 181 के तहत विनियम तैयार करते समय, एम. ई. आर. सी. धारा द्वारा आवश्यक है।

61 (i) "राष्ट्रीय विद्युत नीति और शुल्क नीति" द्वारा निर्देशित होना। केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा 6 जनवरी 2006 को अधिसूचित राष्ट्रीय प्रशुल्क नीति के खंड 5.3 (च) के अनुसार संचालन मानकों और शुल्क केवल "मानक स्तर" पर होना चाहिए और "मानक और वास्तविक से कम" पर नहीं होना चाहिए। विनियम 44.2 (डी) मानक स्तरों की अवहेलना करके अपने ऊर्जा कुशल प्रदर्शन के आधार पर अपीलार्थी के लिए अधिक कठोर एसएचआर निर्धारित करता है;

(ii) एम. ई. आर. सी. द्वारा कमीशन की गई सी. पी. आर. आई. रिपोर्ट में आर. इन्फ्रा के दहानु टी. पी. एस. की तुलना पर निम्नलिखित निष्कर्ष हैं।

पारस इकाई 3 और परली इकाई 6 (एम. एस. पी. जी. सी. एल. की) और टी. पी. सी.-जी इकाई 8 के साथः

" ii. डी. टी. पी. एस. इकाइयाँ परली इकाई 6, पारस इकाई 3 और टाटा ट्रॉम्बे इकाई 8 में स्थापित इकाइयों के समान हैं। वे भारत में लगभग 25 इकाइयों में बी. एच. ई. एल. द्वारा दोहराए गए 250 मेगावाट के सामान्य या मानक डिजाइन के हैं।

iii. दोनों डी. टी. पी. एस. इकाइयों में बॉयलर साइड (बी. एम. सी. आर. फ्लो) में 8 प्रतिशत भाप प्रवाह, टरबाइन साइड (वी. डब्ल्यू. ओ. फ्लो) में 5 प्रतिशत बिजली उत्पादन और जनरेटर साइड (क्षमता वक्र) में 16 प्रतिशत और जनरेटर ट्रांसफॉर्मर साइड में 23 प्रतिशत का परिचालन मार्जिन होता है। ये मार्जिन बी. एच. ई. एल. द्वारा आपूर्ति की गई सभी 250 इकाइयों में प्रदान किए जाते हैं, जिनमें पारस [2019] 1 एस. सी. आर. भी शामिल है।

यूनिट 3, परली यूनिट 6 और टाटा ट्रॉम्बे यूनिट 8 जैसा कि विस्तार से बताया गया है

पाठ "।

इसके अलावा, सी. पी. आर. आई. रिपोर्ट में कहा गया हैः

" vii. ओ. ई. एम. द्वारा प्रदान किए गए सभी मार्जिन को मिलाकर, आर-इन्फ्रा 250 मेगावाट के डिजाइन मूल्य के मुकाबले इकाई को 268 मेगावाट तक लोड करने में सक्षम रहा है। इस भार को बनाए रखने से इकाई के जीवन को कोई नुकसान नहीं हो रहा है क्योंकि डी. टी. पी. एस. ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी मापदंडों को ओ. ई. एम. सीमा के भीतर रखा जाए। उच्च भार क्षमता उच्च ऊर्जा दक्षता से संभव होती है। या इकाई की
कम इकाई हृदय गति। जब डिजाइन हृदय दर से इकाई ऊष्मा दर का विचलन कम होता है, तो उपकरण में ऊष्मा उत्पादन कम होता है जो मापदंडों को उनकी सीमा से अधिक नहीं होने देता है। भारत में 66 इकाइयों ने 2007-08 में 100% UMCR से अधिक औसत वार्षिक संयंत्र लोडिंग की है।

आर इन्फ्रा की डहाणू टी. पी. एस. इकाई परली इकाई 6, पारस इकाई 3 (एम. एस. पी. जी. सी. एल.) और ट्रॉम्बे इकाई 8 (टाटा पावर) के समान पाई गई है।

इकाइयों में समान डिजाइन, मानक और ओ. ई. एम. हैं। इसलिए, केवल इसलिए कि अपीलार्थी ने बेहतर प्रदर्शन किया है, यह इसे अधिक कठोर मानदंडों के अधीन करने का आधार नहीं होगा;

(iii) किसी भी स्थिति में, अगली नियंत्रण अवधि-2016-20 के लिए, अपीलार्थी को अन्य ताप विद्युत स्टेशनों के बराबर माना गया है। वहाँ 2011-16 की अवधि के लिए अंतर करने और डी. टी. पी. एस. के मामले में एस. एच. आर. के लिए अधिक कड़े मानदंड लागू करने का कोई उचित कारण नहीं है। 2011-16 के लिए अपनी डी. टी. पी. एस. इकाई के लिए अपीलार्थी पर अधिक कठोर मानदंड लागू करते हुए, एम. ई. आर. सी. ने शक्ति के मनमाने प्रयोग में कार्य किया है जो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है; और

((iv) वास्तव में, सी. पी. आर. आई. ने अपीलार्थी की डी. टी. पी. एस. इकाई के लिए एक "प्रक्षेपवक्र" प्रस्तुत नहीं किया, जैसा कि उच्च न्यायालय ने माना था। एक प्रक्षेपवक्र

कम कुशल संयंत्रों के लिए सुसज्जित किया गया था। 20. दूसरी ओर, अपीलार्थी की ओर से जिन प्रस्तुतियों का आग्रह किया गया था, उन्हें चुनौती देते हुए उत्तरदाताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस. के. रूंगटा ने निम्नलिखित प्रस्तुतियों का आग्रह कियाः

(i) एसएचआर विद्युत ऊर्जा की एक इकाई उत्पन्न करने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। मानक कोयले की लागत निर्धारित करता है और

संबंधित गैस जिसे पुनः प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी। का निर्धारण

एस. एच. आर. का ऊर्जा की लागत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है जो उपभोक्ता से वसूल की जाएगी; रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड v.

महाराष्ट्र राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

((ii) यह प्रस्तुत करने में एक मूलभूत त्रुटि है कि सी. पी. आर. आई. रिपोर्ट में अपीलार्थी के डहाणू टी. पी. एस. के बीच समानता पाई गई है। परली इकाई 3 और पारस इकाई 6 (एम. एस. पी. जी. सी. एल. की) और ट्रॉम्बे इकाई 8 (टाटा पावर की)। सी. पी. आर. आई. ने विनिर्देशों की समानता पाई, न कि प्रदर्शन की। जिन तिथियों पर उपरोक्त तीन इकाइयों ने परिचालन शुरू किया वे थीं:

● पारस 3

31 मार्च 2008;

1 नवंबर 2007;

• पार्ली 6

• ● टीपीसी 8

31 मार्च 2008।

दहानू में अपीलार्थी की इकाई ने 1995 में परिचालन शुरू किया। सी. पी. आर. आई. वास्तव में इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है कि

डी. टी. पी. एस. का प्रदर्शन परली इकाई 6, पारस इकाई 3 और ट्रॉम्बे इकाई 8 के बराबर था।

(iii) सी. पी. आर. आई. की रिपोर्ट में डी. टी. पी. एस. और टाटा पावर और एम. एस. पी. जी. सी. एल. की इकाइयों का अलग से मूल्यांकन किया गया है। यह कहना तथ्यात्मक रूप से गलत है कि सीपीआरआई अध्ययन परली इकाई 6, पारस इकाई 3 और ट्रॉम्बे इकाई 8 के लिए था।

(iv) विद्युत अधिनियम 2003 के अधिनियमन के बाद, पहला एम. वाई. टी. विनियम 2005 में लागू किया गया था। सभी इकाइयों को बराबर रखा गया था

उस स्तर पर आधार रेखा अध्ययन की अनुपस्थिति;

(v) धारा 61 (i) के अनुसार उचित कमीशन शुल्क नीति में निर्धारित सिद्धांतों द्वारा "निर्देशित" होगा। शुल्क नीति शुल्क विनियम तैयार करते समय जिन कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, उनका उल्लेख करता है;

(vi) एम. वाई. टी. विनियमों में जो अवधि 2011-16 को नियंत्रित करते थे, एस. एच. आर. द्वारा प्राप्त लाभों का उत्पादक और निर्माता के बीच बंटवारा।

(vii) अपीलार्थी द्वारा 2006-07 से 2009-10 के लिए दिया गया SHR निर्धारण के आधार की पर्याप्त व्याख्या करेगा। वही सिद्धांत है टाटा पावर के मामले में लागू किया गया था;

(viii) जब तक कि कोई अधीनस्थ कानून स्पष्ट अनुचितता या सिद्धांत के उल्लंघन से पीड़ित नहीं पाया जाता है।

आनुपातिकता, इसे अल्ट्रा वायर्स नहीं माना जाएगा।

21. ये प्रस्तुतियाँ हमारे विचार के लिए हैं। 22. शुल्क निर्धारित करने की शक्ति विधायी प्रकृति की है। अनुभाग

विद्युत अधिनियम 2003 के भाग VII में निहित है जो

एस. धारा 61 इस प्रकार प्रदान करती हैः

" धारा 61. शुल्क नियमः उपयुक्त आयोग

(क) उत्पादन करने वाली कंपनियों और पारेषण लाइसेंसधारियों के लिए लागू शुल्क के निर्धारण के लिए केंद्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट सिद्धांत और कार्यप्रणाली; (ख) बिजली का उत्पादन, पारेषण, वितरण और आपूर्ति वाणिज्यिक सिद्धांतों पर की जाती है।

(ग) वे कारक जो प्रतिस्पर्धा, दक्षता को प्रोत्साहित करेंगे,

संसाधनों का किफायती उपयोग, अच्छा प्रदर्शन और इष्टतम

निवेश;

(घ) उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना और साथ ही,

(छ) कि शुल्क उत्तरोत्तर आपूर्ति की लागत को दर्शाता है बिजली और उपयुक्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट तरीके से क्रॉस-सब्सिडी को भी कम करता है;

बशर्ते कि शुल्क के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 और इसमें निर्दिष्ट अधिनियमों के तहत

अनुसूची जो नियत तिथि से ठीक पहले थी, एक वर्ष की अवधि के लिए या जब तक इस धारा के तहत शुल्क के लिए नियम और शर्तें निर्दिष्ट नहीं की जाती हैं, तब तक लागू होती रहेगी।

पहले की बात है "। ट्रस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड v. महाराष्ट्र राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

धारा 61 में प्रावधान है कि उपयुक्त आयोग, अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, अधिनियम के लिए नियम और शर्तों को निर्दिष्ट करेगा।

शुल्क का निर्धारण। ऐसा करने में, इसे खंड (ए) से (आई) में निर्धारित विचारों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। उनमें से खंड (i) में राष्ट्रीय बिजली नीति और शुल्क नीति है।

23. धारा 181 राज्य आयोगों को अधिकार देती है कि वे

अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिनियम और नियमों के अनुरूप विनियम। जिन मामलों के लिए विनियम प्रदान कर सकते हैं उनमें "धारा 61 के तहत शुल्क के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें" शामिल हैं। शुल्क के निर्धारण के लिए नियमों और शर्तों को निर्दिष्ट करने में, उपयुक्त कमीशन (जैसा कि धारा 61 प्रदान करती है) खंड (ए) से (आई) में निर्धारित कारकों द्वारा "निर्देशित" किया जाएगा। द.

"निर्देशित किया जाएगा" अभिव्यक्ति में दो तत्व शामिल हैंः 'होगा' और, 'मार्गदर्शन'। खंड (ए) से (आई) शुल्क के निर्धारण के लिए नियमों और शर्तों को निर्दिष्ट करने में आयोग को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। द.

पद "होगा" इंगित करता है कि खंड (ए) से (आई) में निर्दिष्ट कारकों को उपयुक्त आयोग द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए। मार्गदर्शक कारकों के रूप में, वे विचार प्रदान करते हैं जो सामग्री हैं

उचित आयोग द्वारा शुल्क का निर्धारण।

24. राष्ट्रीय शुल्क नीति के बहुआयामी उद्देश्य हैं। इनमें से महत्वपूर्ण यह है कि उपभोक्ताओं को उचित और प्रतिस्पर्धी दरों पर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। यह नीति इस क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने का भी प्रयास करती है और निवेश आकर्षित करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। वित्तीय रूप से टिकाऊ बिजली क्षेत्र समग्र नियामक ढांचे का एक महत्वपूर्ण पहलू है। नीति के उद्देश्य सभी क्षेत्राधिकारों में नियामक दृष्टिकोणों में पारदर्शिता, निरंतरता और पूर्वानुमेयता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। यह नीति नियामक जोखिम की धारणाओं को कम करने की आवश्यकता पर जोर देती है। अंत में, नीति प्रतिस्पर्धा, संचालन में दक्षता और आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार को बढ़ावा देने की आवश्यकता को पहचानती है। शुल्कों के लिए नियामक ढांचे को तैयार करने और तैयार करने में, विधायिका के प्रतिनिधि को प्रतिस्पर्धी लक्ष्यों के बीच एक संतुलन लाना होता है जिसे शुल्क नीति शामिल करती है।

25. प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, प्रतिनिधि को उपभोक्ताओं और उत्पादकों सहित विभिन्न हितधारकों के हितों को ध्यान में रखना होता है।

शुल्क तय करने की प्रक्रिया का समान महत्व है, क्योंकि यह प्रक्रियात्मक ढांचे के माध्यम से है जो निरंतरता, पारदर्शिता और

6 धारा 181 (2) (जेडडी)

पूर्वानुमेयता को लागू किया जा सकता है। शुल्क तय करने में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और आपूर्ति की गुणवत्ता नीतिगत ढांचे के प्रमुख घटक हैं। शुल्क नीति का खंड 5.3 (च) प्रदर्शन मानदंडों को विकसित करने की आवश्यकता की बात करता है जिसमें प्रोत्साहन और हतोत्साहित करने वाले प्रावधान शामिल हैं।

उचित व्यवस्था जो उपभोक्ताओं के साथ संचालन में दक्षता के लाभों को साझा करने को बढ़ावा देती है। शुल्कों में संचालन मापदंड हैं - केवल "मानक स्तर" पर निर्धारित करने की आवश्यकता है न कि "निचले स्तर" पर

पैराग्राफ 5.3 (एच) (2) में निर्दिष्ट मामलों को छोड़कर और उन्हें छोड़कर मानक और वास्तविक। पैराग्राफ 5.3 (एच) (2) उन मामलों से संबंधित है जहां संचालन पिछले कई वर्षों से मानक से बहुत कम रहा है।

उन मामलों में, राजस्व आवश्यकता और प्रक्षेपवक्र निर्धारित करने में प्रारंभिक प्रारंभिक बिंदु एक आराम से स्तर पर तय किया जाता है न कि वांछित स्तरों पर। खंड 5.3 (च) के तहत, संचालन मानदंडों को कई मापदंडों को पूरा करना चाहिए। उन्हें (i) कुशल होना चाहिए; (ii) पिछले प्रदर्शन से संबंधित होना चाहिए; (iii) उपलब्धि में सक्षम होना चाहिए; और उत्तरोत्तर बढ़ी हुई क्षमताओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए। वे नवीनतम को भी ध्यान में रख सकते हैं। तकनीकी प्रगति, ईंधन, उपकरणों की पुरानी अवधि, संचालन की प्रकृति, उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली सेवा का स्तर, अन्य कारकों के बीच।

निरंतर और सिद्ध अक्षमता को नियंत्रित और दंडित किया जाना चाहिए। परिचालन मानदंडों को दक्षता को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए कि कुशल संचालन के कारण होने वाले लाभ को बिजली के उपभोक्ताओं के साथ साझा किया जाए। इसलिए संचालन मानदंडों में अतीत के प्रदर्शन के साथ-साथ भविष्य की उपलब्धि के लिए क्षमताओं को भी ध्यान में रखा जाएगा। इन्हें सभी के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

नीति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक विचार।

26. शुल्क नीति उपयुक्त लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करती है।

कमीशन जब यह नियमों को तैयार करता है। नियम बनाने की शक्ति

प्रकृति में विधायी है। यह उपयुक्त आयोग को प्रदान किया जाता है। आयोग कई कारकों पर विचार करता है। एक जटिल अभ्यास को करने में इसके विवेक को बाधित नहीं किया जा सकता है। इसलिए विधायिका का प्रतिनिधि प्रतिस्पर्धी विचारों के बीच एक निष्पक्ष और न्यायसंगत संतुलन लाने के लिए एक जनादेश के तहत है। उन विचारों में सबसे आगे रहना दक्षता सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता है। अपीलार्थी की ओर से जो निवेदन किया गया है, वह शुल्क निर्धारण को एक ही डिजाइन और विनिर्माण मूल वाली उत्पादन इकाइयों के बीच समानता लाने की एक सरल प्रक्रिया तक कम कर देगा। इस तरह का दृष्टिकोण उन जटिल कारकों को नजरअंदाज करता है जिन्हें विश्वास इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड v के निर्धारण में ध्यान में रखा जाना चाहिए।

महाराष्ट्र राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, जे।]

शुल्कों से। अपीलार्थी की ओर से जो निवेदन किया गया है, वह इस परिकल्पना पर आधारित है कि सी. पी. आर. आई. रिपोर्ट ने अपीलार्थी की परली इकाई 6, पारस इकाई 3, टाटा ट्रॉम्बे इकाई 8 और डी. टी. पी. एस. इकाई की समानता को रेखांकित किया है। उच्चतम स्तर पर, सी. पी. आर. आई. अध्ययन विनिर्देशों की समानता का संकेत देगा लेकिन प्रदर्शन की समानता का नहीं। प्रदर्शन, जैसा कि हमने देखा है, एक उपयुक्त एसएचआर डिजाइन करने में एक महत्वपूर्ण तत्व है। एस. एच. आर. का दक्षता के साथ एक महत्वपूर्ण सह-संबंध है। सीपीआरआई रिपोर्ट आरइन्फ्रा के डीटीपीएस के विस्तृत विश्लेषण का संकेत देती है। विशेष रूप से, डी. टी. पी. एस. के संदर्भ में, इसने कहाः

250 एम. डब्ल्यू. इस भार को बनाए रखना इकाई के जीवन को नुकसान नहीं पहुँचा रहा है। क्योंकि डी. टी. पी. एस. ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी मापदंडों को ओ. ई. एम. के भीतर रखा जाए।

सीमाएँ। उच्च भार क्षमता उच्च ऊर्जा दक्षता से संभव होती है। या इकाई की कम इकाई हृदय गति। जब इकाई का विचलन

उपकरण कम है जो मापदंडों को अधिक नहीं होने देता है। उनकी सीमाएँ। भारत में औसतन 66 इकाइयों का उत्पादन हुआ है।

2007-08 में 100% UMCR से अधिक वार्षिक संयंत्र लोडिंग।

सी. पी. आर. आई. की रिपोर्ट में इसी तरह इकाई 5 और 6 का विश्लेषण किया गया था।

टी. पी. सी.-जी. और एम. एस. पी. जी. सी. एल. इकाइयों की। सीपीआरआई ने आर इन्फ्रा के डीटीपीएस की इकाइयों 1 और 2 पर अध्ययन किया। अपने जवाबी हलफनामे में, एम. ई. आर. सी. ने वित्तीय वर्षों 2006-07 से 2009-10 के लिए डी. टी. पी. एस. द्वारा प्राप्त एस. एच. आर. को निम्नानुसार सारणीबद्ध किया हैः

" तालिका संः 2 डी. टी. पी. एस. द्वारा वित्त वर्ष 2006-07 से एस. एच. आर. हासिल किया गया

वित्त वर्ष 2009-10

वर्ष

स्टेशन ऊष्मा दर (एसएचआर) (के. सी. एल./के. डब्ल्यू. एच.)

आरइन्फ्रा के एम. ई. आर. सी. प्रस्तुत करने को मंजूरी दी गई

डीटीपीएस

याचिका में

हासिल किया।

2278

2315

वित्त वर्ष 2006-07

2500

वित्त वर्ष 2007-08

2500

2279

2500

वित्त वर्ष 2008-09

2500

2500

2300

2500

वित्त वर्ष 2009-10

2500

2293

यह समझाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 तक वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए SHR का अनुमान लगाने के लिए, इस दौरान प्राप्त वास्तविक गर्मी दर

पिछले वर्षों में और [2019] 1 एस. सी. आर. जैसे कारकों के कारण विचलन की भविष्यवाणी की गई।

कोयला ऊर्जा क्षरण और औसत के कारण बॉयलर दक्षता में कमी

वार्षिक वृद्धावस्था हानि पर विचार किया गया। डी. टी. पी. एस. के लिए प्रत्याशित एस. एच. आर वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2015-16 की गणना निम्नलिखित तरीके से की गई थीः

" एसएचआर = 2292 * + (बॉयलर दक्षता में कमी + कोयले की गुणवत्ता में गिरावट + वार्षिक वृद्धावस्था हानि) = 2350 किलोकैलरी/किलोवाट घंटे।

(* सी. पी. आर. आई. से 2292 के. सी. एल./के. डब्ल्यू. एच. की स्टेशन ऊष्मा दर ली गई थी।

मार्च, 2010 की परीक्षण रिपोर्ट।) ”

इसी आधार पर सी. पी. आर. आई. ने टी. पी. सी.-जी. की इकाइयों 5 और 6 के लिए तकनीकी अध्ययन किया। 2006-07 और 2008-09 से टीपीसी-जी इकाई 5 (कोयले से संचालित) द्वारा प्राप्त एसएचआर की गणना की गई थी। इस आधार पर, एस. एच. आर., जिसे एक प्राप्त करने योग्य ऊष्मा दर के रूप में अनुमानित किया गया था, की गणना की गई और एक स्वीकृत प्रक्षेपवक्र था।

वित्तीय वर्षों के लिए इकाई 5 के लिए 2011-12 से 2015-16 निर्धारित किया गया था। इसी तरह, टी. पी. सी.-जी. की इकाई 6 के संबंध में, सी. पी. आर. आई. अध्ययनों ने एस. एच. आर. को प्राप्त करने का संकेत दिया।

वित्तीय वर्षों 2006-07 से 2009-10 के लिए। सी. पी. आर. आई. ने ईंधन तेल की आगजनी और ईंधन गैस की आगजनी के आधार पर गर्मी की दर का अनुमान लगाया। सी. पी. आर. आई. रिपोर्ट के आधार पर, एम. ई. आर. सी. टी. पी. सी.-जी इकाइयों 5 और 6 के लिए अपने निष्कर्षों पर पहुंचा। इस संबंध में, जवाबी हलफनामे में यह प्रदर्शित किया गया है कि अपनाई गई कार्यप्रणाली में कोई भेदभाव नहीं था और वही सिद्धांत समान रूप से लागू किया गया था। 27. न्यायालय का ध्यान इस तथ्य की ओर भी आकर्षित किया गया है कि प्रशुल्क विनियम 2011 में नियंत्रणीय कारकों के कारण लाभ या हानि के बंटवारे के लिए खंड 14 में एक शर्त है। खंड 14 इस प्रकार प्रदान करता हैः

" 14 के कारण लाभ या हानि के बंटवारे के लिए तंत्र

नियंत्रित करने योग्य कारकः

14.1 उत्पादक कंपनी को स्वीकृत कुल लाभ या

संचरण अनुज्ञप्ति या वितरण अनुज्ञप्ति

नियंत्रणीय कारकों से निम्नलिखित तरीके से निपटा जाएगाः (क) ऐसे लाभ की राशि का एक-तिहाई भाग इस रूप में पारित किया जाएगा -

आदेश में निर्धारित की गई अवधि के लिए शुल्क में छूट

विनियमन 11.6 के तहत आयोग का;
(ख) शेष राशि, जो इस तरह के लाभ का दो-तिहाई होगी, का उपयोग उत्पादन कंपनी या पारेषण लाइसेंस या वितरण लाइसेंस के विवेक पर किया जा सकता है। ट्रस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड v.

महाराष्ट्र राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

['नियंत्रणीय कारक' शब्द को विनियमों के खंड 12.2 में समझाया गया है।]

28. शुल्क विनियम 2011 के तहत, अनुमोदित कुल राशि

उत्पादन कंपनी को लाभ साझा किया जाना थाः एक-तिहाई को शुल्क में छूट के रूप में पारित करने की आवश्यकता थी, जबकि शेष दो-तिहाई का उपयोग उत्पादन कंपनी के विवेक पर किया जाएगा। जिस पर दूसरी ओर, शुल्क विनियम 2015, विनियम 11 में नियंत्रणीय कारकों के कारण लाभों के बंटवारे के लिए एक संबंधित तंत्र शामिल है। विनियम 11 निम्नलिखित शब्दों में हैः

" 11 के कारण लाभ या हानि के बंटवारे के लिए तंत्र

नियंत्रित करने योग्य कारकः

11.1 उत्पादक कंपनी या लाइसेंसधारी या एम. एस. एल. डी. सी. को नियंत्रणीय कारकों के कारण स्वीकृत कुल लाभ होगा -

निम्नलिखित तरीके से निपटा गयाः

(क) ऐसे लाभ की राशि का दो-तिहाई हिस्सा शुल्क में छूट के रूप में ऐसी अवधि के लिए पारित किया जाएगा जो विनियमन 8.4 के तहत आयोग के आदेश में निर्धारित किया जाए;

(ख) इस तरह के लाभ की शेष राशि को बनाए रखा जाएगा

जनरेटिंग कंपनी या लाइसेंसधारी या एमएसएलडीसी "।

जबकि 2011 के विनियमों में, कुल लाभ का एक-तिहाई शुल्क और शेष राशि में छूट के रूप में पारित किया जाना था। दो-तिहाई का उपयोग उत्पादन कंपनी द्वारा अपने विवेक से किया जाना था, 2015 के नियमों में, अनुपात को उलट दिया गया है। 2015 के विनियमों में, लाभ की राशि का दो-तिहाई हिस्सा शुल्क में छूट के रूप में पारित किया जाना आवश्यक है, जबकि शेष राशि को राज्य द्वारा बनाए रखा जाएगा।

उत्पादन कंपनी। धारा 61 के अनुरूप शुल्क नीति की शर्तों के तहत उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रखना आवश्यक है। अपने विशेषज्ञ निर्णय में, आयोग ने 2015 के विनियमों को तैयार करते हुए अनिवार्य किया कि कुल लाभ का एक बढ़ा हुआ अनुपात शुल्क पर छूट के रूप में पारित किया जाएगा। इसे वैध रूप से यह मूल्यांकन करने में एक प्रासंगिक विचार के रूप में ध्यान में रखा जा सकता था कि विचाराधीन अवधि के लिए एस. एच. आर. के रूप में क्या उचित रूप से तय किया जाना चाहिए।

29. अपीलार्थी के मामले का आधार भेदभाव की याचिका पर आधारित है। सीधे शब्दों में कहें तो याचिका इस परिकल्पना पर आधारित है कि सी. पी. आर. आई. रिपोर्ट में डी. टी. पी. एस. की इकाइयों को पार्ली के समान माना गया है।

इकाई 6 और पारस इकाई 3 (एम. एस. पी. जी. सी. एल. की) और ट्रॉम्बे इकाई 8 (टी. पी. सी. [2019] 1 एस. सी. आर.

तकनीकी प्रगति, ईंधन, पुराने उपकरणों को ध्यान में रखते हुए, संचालन की प्रकृति और अन्य कारकों के बीच सेवा का स्तर। श्री.

धारा 61 के तहत उपयुक्त आयोग से उन विचारों को ध्यान में रखने की अपेक्षा की जाती है। ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर पिछले प्रदर्शन को कम करना, विविध नीतिगत उद्देश्यों को संतुलित करना और हितधारकों के हितों के लिए तुलनात्मक महत्व का मूल्यांकन करना एक वैज्ञानिक अभ्यास है जिसे आयोग द्वारा किया जाता है। न्यायिक समीक्षा की प्रकृति जो किसी दिए गए विषय क्षेत्र में प्रयोग की जा सकती है, महत्वपूर्ण रूप से उस क्षेत्र और निकाय की प्रकृति पर निर्भर करती है जिसे अधीनस्थ कानून बनाने का कार्य सौंपा गया है। में। आंध्र प्रदेश पारेषण निगम लिमिटेड बनाम साई रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड, 7 इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रकार निर्णय दिया:

" 17. शुल्क का निर्धारण, मुख्य रूप से, द्वारा किया जाने वाला एक कार्य है

सुसंगत विधियों के प्रावधानों को आगे बढ़ाने में सांविधिक प्राधिकारी। हम पहले ही देख चुके हैं कि शुल्क का निर्धारण एक वैधानिक कार्य है जैसा कि सुधार अधिनियम, 1998, विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 और बिजली 7 (2011) 11 एस. सी. सी. 34 रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड v. के प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट किया गया है।

महाराष्ट्र राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, जे।]

उनका न्यायिक विवेक। के अधीन गठित न्यायाधिकरण विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधान, फिर से एक विशेष निकाय होने के नाते, ऐसे मुद्दों की जांच करने की उम्मीद है, लेकिन यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राय के गठन पर अपीलीय प्राधिकरण के रूप में नहीं बैठेगा और

विशेष निकायों द्वारा शुल्क का निर्धारण।

18. ..... इस न्यायालय ने लगातार यह विचार रखा है कि न्यायालय के लिए शुल्क दरों के निर्धारण या इसके संशोधन की जांच करना उचित नहीं होगा क्योंकि ये मामले न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे से बाहर के नीतिगत मामले हैं। शुल्क निर्धारण/संशोधन में न्यायिक हस्तक्षेप का एकमात्र स्पष्टीकरण यह है कि पीड़ित व्यक्ति क्या दिखा सकता है।

कि शुल्क निर्धारण अवैध, मनमाना या अधिनियम के अधिकार से बाहर था। यदि वैधानिक रूप से निर्धारित प्रक्रिया है तो इसे अवैध कहा जाएगा।

इसका पालन नहीं किया गया या यह इतना विकृत और मनमाना है कि यह न्यायालय की न्यायिक 'अंतरात्मा' को चोट पहुंचाता है जिससे न्यायालय के लिए हस्तक्षेप करना आवश्यक हो जाता है। इन मामलों में भी अधिकार क्षेत्र का दायरा एक है

बहुत सीमित "।

एम. ई. आर. सी. एक विशेषज्ञ निकाय है जिसे शुल्क के निर्धारण के लिए नियम और शर्तों सहित नियम बनाने का कर्तव्य और कार्य सौंपा गया है। न्यायालय, अपनी न्यायिक शक्ति का प्रयोग करते हुए

समीक्षा, जहाँ प्रकट अनुचितता या मनमानेपन का मामला बनाया जाता है, वहाँ कदम उठा सकते हैं। इसी तरह, जहां विधायिका का प्रतिनिधि वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करने या उन कारकों को ध्यान में रखने में विफल रहा है जिन पर विचार करने के लिए उसे क़ानून द्वारा अनिवार्य किया गया है या उसने बाहरी विचारों पर शुल्क के अपने निर्धारण को स्थापित किया है, तो न्यायालय न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए यह सुनिश्चित करेगा कि क़ानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। हालाँकि, यह न्यायालय के कार्य का कोई हिस्सा नहीं है कि वह किसी विशेषज्ञ द्वारा किए गए निर्धारण के लिए अपने स्वयं के निर्धारण को प्रतिस्थापित करे।

भौतिक परिस्थितियों पर उचित विचार करने के बाद निकाय। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी यूज़र्स बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में, 8 इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने शुल्क निर्धारण पर विचार किया और इस प्रकार निर्णय दिया:

8 (2002) 3 एससीसी 711 [2019] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 11. हम उच्च न्यायालय से भी सहमत हैं कि शुल्क निर्धारण के संबंध में किसी मामले में न्यायिक समीक्षा अनुच्छेद के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए अपीलीय प्राधिकरण की तरह नहीं होनी चाहिए।

226 संविधान से। उच्च न्यायालय को केवल इस बात से संतुष्ट होना है कि आयोग ने उचित प्रक्रिया का पालन किया है

और जब तक यह प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है कि उसका निर्णय मनमाना या अवैध या अधिनियम के विपरीत है, तब तक अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी। शुल्क तय करना और क्रॉस-सब्सिडी प्रदान करना अनिवार्य रूप से नीति का विषय है और आम तौर पर एक अदालत इससे परहेज करेगी।

किसी नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप करने से जब तक कि प्रयोग की गई शक्ति मनमाना या कानूनी रूप से खराब न हो। "

31. हमने अपनी चर्चा की शुरुआत अपनी प्रस्तावना में जोर देकर की।

अवलोकन, कि विनियम बनाने की शक्ति विधायी प्रकृति की है। सी. पी. आर. आई. रिपोर्ट एम. ई. आर. सी. के समक्ष इसे पूरा करने के लिए एक इनपुट थी।

32. इस निर्णय में दर्ज किए गए कारणों के कारण, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि एम. ई. आर. सी. (बहु-वर्षीय शुल्क) विनियम, 2011 का विनियम 44.2 (डी) किसी भी संवैधानिक या वैधानिक दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है। हालाँकि, हमने अपने स्वयं के कारण प्रस्तुत किए हैं रिट याचिका को खारिज करने के उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय की पुष्टि करना। हमने उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण को अस्वीकार कर दिया है कि अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका बनाए रखने योग्य नहीं थी और तदनुसार लागत लगाने के निर्देश को दरकिनार कर दिया। हालाँकि, हम मानते हैं कि विवादित विनियमन में कोई कमजोरी नहीं है और तदनुसार अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका को खारिज करने के लिए उच्च न्यायालय के अंतिम निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं।

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

तदनुसार, दीवानी अपील का निपटारा किया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अंकित ज्ञान